29/1/25

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उपा।
पार्टी मुकदमा स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय
अलग से लिखाया जाकर शामिल किया गया। डिक्री
जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब
तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2022/110

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.01.29 12:19:22 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक जिलाधीश सूरतगढ़

पीठासीन अधिकारी :– सन्दीप कुमार आर.ए.एस.

प्रकरण नं0 144 / 2022 GCMS:- 2022/110 दायरा दिनांक 07.06.2022

राणो बाई पत्नी श्री सोनासिंह पुत्र श्री फौजासिंह जाति रायसिख निवासी मानेवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

– वादीया

बनाम

1. बुटासिंह
2. जंगीरसिंह
3. मंगलसिंह
4. रेशमसिंह

} पिसरान फौजासिंह अकवाम रायसिख निवासीयान मानेवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 209 आर.टी.ए.

उपस्थित :–

1. श्री जसवीरसिंह बराड़ एडवोकेट – वादीया
2. श्री राहुल शर्मा एडवोकेट – प्रतिवादी नं 1 ता 4

–:: निर्णय ::– **दिनांक :–** 27.01.2025

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वादीया ने यह दावा पेशकर निवेदन किया कि वादीया एवं प्रतिवादीगण के पिता के नाम से वाके चक 2 एम.एन.डब्ल्यू.एम. के पत्थर नं. 102 / 332 (16) के किला नं. 1, 2 ता 5, 6, 7 ता 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 = 3.429 हैक. कमाण्ड व इसी चक के पत्थर नं. 102 / 332 (16) के किला नं. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 = 1.392 हैक. इस प्रकार कुल 4.821 हैक. कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि व चक 5 एम.एन.डब्ल्यू.एम. के पत्थर नं. 102 / 338 के किला नं. 14 ता 25 = 3.036 हैक. खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादीया व प्रतिवादीगण के पिता ने अपने जीवन काल अपने नाम की भूमि की वसीयत अपने चारों पुत्रों / प्रतिवादीगण के नाम दिनांक 15.09.2010 को करवा दी थी व उक्त भूमि का कब्जा भी प्रतिवादीगण को वसीयत अनुसार दे दिया था व प्रतिवादीगण ने अपने पिता की मृत्यु उपरान्त वसीयत अनुसार श्रीमान तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ के आदेशानुसार इन्तकाल अपने नाम करवा लिया है। वादीया व प्रतिवादीगण के पिता ने अपने जीवन काल में अपने नाम की भूमि की वसीयत अपनी पुत्री राणो बाई जो कि वादीया है को अपने पास रखा व अपने नाम की उक्त भूमि में से चक 2 एम.एन.डब्ल्यू.एम. 'ए' के पत्थर नं. 102 / 332 (16)

लगातार पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.01.29 12:19:22 IST
Reason: SelfAttested

के किला नं. 1/0.228, 2–3/0.506 = 0.734 हैक. कमाण्ड भूमि की वसीयत करवा दी थी व कब्जा भी सौप दिया था जो कि वादीया के पास लगातार चला आ रहा है। वादीया व प्रतिवादीगण के पिता ने वादीया के पक्ष में जो वसीयत करवाई थी प्रतिवादीगण ने जानबुझकर अपने पास छुपाकर रख ली है व वादीया को वसीयत नही देना चाहते है। वादीया दिनांक 15.09.2010 की वसीयत अनुसार चक 2 एम.एन.डब्ल्यू.एम. 'ए' के पत्थर नं. 102/332 (16) के किला नं. 1/0.228, 2–3/0.506 = 0.734 हैक. कमाण्ड खातेदारी भूमि की वसीयत का वर्णन किया है उसी अनुसार व दिये गये कब्जा काश्त अनुसार घोषणा करवाने की पूरी पूरी पात्र है। प्रतिवादीगण ने वादीया को ना बताते हुये अपने नाम वसीयत अनुसार श्रीमान तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ से आदेश करवाकर जैर प्रकरण रकबा अपने नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करवा लिया है। जबकि वादीया को भूमि ना मिल सके इस वजह से वादीया के पक्ष में हुई वसीयत को छुपाकर रख लिया है व वादीया को वसीयत नही देना चाहते है। लेकिन वादीया व प्रतिवादीगण के पिता ने अपने जीवन काल में दिनांक 10.09.2010 को प्रतिवादीगण के पक्ष में की गई वसीयत में स्पष्ट लिख दिया कि मैने चक चक 2 एम.एन.डब्ल्यू.एम. 'ए' के पत्थर नं. 102/332 (16) के किला नं. 1/0.228, 2–3/0.506 = 0.734 हैक. कमाण्ड भूमि की वसीयत पूर्व में अपनी पुत्री/वादीया के पक्ष में करवा दी थी। जिससे साबित है कि वादीया के पक्ष में वसीयत तस्दीक हुई थी लेकिन प्रतिवादीगण के मन में बदनियति आने के कारण उक्त वसीयत को छुपा ली है। वादीया के पास अब भी उक्त जैर प्रकरण भूमि का कब्जा बदस्तुर चला आ रहा है। इसी अनुसार वादीया उक्त जैर प्रकरण भूमि की घो णा करवाने की पूरी पूरी पात्र है। वादीया ने प्रतिवादीगण को दिनांक 31.03.2022 को कहा कि मेरे पक्ष में की गई वसीयत मुझे दे दो ताकि मैं वसीयत अनुसार अपने नाम से जैर वाद भूमि का इन्तकाल अपने नाम दर्ज करवा सकूं। वादीया के इतना कहने पर प्रतिवादीगण भड़क गये व वादीया को कहने लगे कि हमारे पास कोई वसीयत नही है हमारे पिता ने कोई भी वसीयत तेरे पक्ष में नही करवाई है। इस पर वादीया ने मौजीजान व्यक्तियों की पचायत रखी व कहा कि मेरे पिता के द्वारा अपने जीवन काल में मेरे पक्ष में चक 2 एम.एन.डब्ल्यू.एम. 'ए' के पत्थर नं. 102/332 (16) के किला नं. 1/0.228, 2–3/0.506 = 0.734 हैक. कमाण्ड भूमि की वसीयत करवाकर कब्जा सौपा था। मैं उक्त भूमि का अपने नाम से इन्तकाल दर्ज करवाना चाहती हूँ लेकिन प्रतिवादीगण मुझे वसीयत नही दे रहे है तो मौजीजान व्यक्तियों के सामने ही प्रतिवादीगण स्पष्ट इंकार हो गये व कहने लगे कि हम तुझे उक्त भूमि नही देंगे। प्रतिवादीगण बहुत ही चालाक आदमी है व राजनीतिक प्रभावशाली व्यक्तियों के सम्पर्क में रहते है व तहसील कोर्ट में काफी जानकारी रखते है। इस कारण से [illegible] उसके हिस्से की भूमि जो वसीयत अनुसार दी गई थी को हड़पना चाहते है व वादीया [illegible] हिस्से से मरहूम रखना चाहते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.01.29 12:19:22 IST
Reason: SelfAttested

लगातार पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 23.06.2022 को प्रतिवादी नं 1 ता 4 की तरफ से श्री राहुल शर्मा वकील ने वकालतनामां पेश किया। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 29.06.2022 को पेश हो। दिनांक 20.09.2022 को उभय पक्ष उपस्थित होकर साक्ष्य वादी बयान शपथ पत्र वादीया द्वारा पेश किया गया जिरह वकील प्रतिवादी NILL रही साक्ष्यवादी और नही करवाना चाहते है। साक्ष्य वादी बन्द किये गये। वकील प्रतिवादी भी साक्ष्य प्रतिवादी भी नही करवाना चाहते है। साक्ष्य प्रतिवादी बन्द किये जाते गये। वास्ते बहस दिनांक 10.10.2022 को पेश हो। लेकिन कार्य में व्यस्त होने के कारण बहस नही सुनी गई व बहस दिनांक 19.09.2023 को सुनी गई व निर्णय दिनांक 29.09.2023 को रखा गया। दिनांक 29.09.2023 को उभय पक्ष उपस्थित कार्य की व्यस्तता के कारण निर्णय नही लिखाया जा सका। वास्ते मजित बहस पत्रावली दिनांक 13.12.2023 को पेश हो। दिनांक 13.12.2023 को बहस सुनी गई व निर्णय दिनांक 21.12.2023 को रखा गया। दावा में प्रतिवादी नं. 1 के वकील द्वारा सहमति जताई गई।

अधिवक्ता की बहस सुनी जाने के पश्चात पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो से यह साबित है कि वादीया के पिता फौजासिंह के नाम चक 2 एम.एन.डब्ल्यू.एम. 'ए' के पत्थर नं. 102/332 (16) के किला नं. 1/0.228, 2–3/0.506 = 0.734 हैक. कमाण्ड भूमि कलमजन की जाकर वादीया के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना उचित है।

अतः वाद वादीया स्वीकार किया जाकर वादीया द्वारा प्रस्तुत किये गये वादपत्र की भूमि चक 2 एम.एन.डब्ल्यू.एम. 'ए' के पत्थर नं. 102/332 (16) के किला नं. 1/0.228, 2–3/0.506 = 0.734 हैक. कमाण्ड भूमि कलमजन की जाकर वादीया के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे इसी अनुसार अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सन्दीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक जिलाधीश
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.01.29 12:19:22 IST
Reason: SelfAttested

–: डिक्री ब मुक्दमा इख्तदाई :–
(ओ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
बअदालत उपखण्ड अधिकारी एंव उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सूरतगढ़
बइजलास – सन्दीप कुमार आर.ए.एस.

राणो बाई पत्नी श्री सोनासिंह पुत्र श्री फौजासिंह जाति रायसिख निवासी मानेवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

– वादीया

बनाम

1. बुटासिंह
2. जंगीरसिंह
3. मंगलसिंह
4. रेशमसिंह

} पिसरान फौजासिंह अकवाम रायसिख निवासीयान मानेवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

– प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

दावा अन्तर्गत धारा 88, 209 आरटीए मुकदमा नं. 144/2022 यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कितई रूबरू हमारे हाजिर वकील वादीया श्री जसवीरसिंह एडवोकेट पेश होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :–

अतः वाद वादीया आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर वादीया के पिता के नाम की भूमि चक 2 एम.एन.डब्ल्यू.एम. 'ए' के पत्थर नं. 102/332 (16) के किला नं. 1/0.228, 2–3/0.506 = 0.734 हैक. कमाण्ड भूमि को कलमजन किया जाकर वादीया के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे व राजस्व रिकार्ड मे इसी अनुसार अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आज .... × .... मुबलिग .... × .... बाबत् .... × .... खर्चा इस मुकदमें मय शूद्व बशरह .... × .... कस्दो की पालना .... × ....आज कि तारीख से तारीख बसूलया वो ताकी अदा करे

बसिब्त मेंरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 27.01.2025 को जारी की गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.01.29 12:19:22 IST
Reason: SelfAttested

(सन्दीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)